

# कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश

17, अरेरा हिल्स, पोस्ट बॉक्स नंबर 1164 भोपाल

दूरभाष-2550488,2550446,2553305,2551282 फ़ैक्स-0755-555162

E-mail : chiefelectoralofficermp@gmail.com, website : ceomadhyapradesh.nic.in

फा.क्र. 56/चार/2019/कॉमन सिम्बल/4603  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 15.3.19

समस्त कलेक्टर एवं  
जिला निर्वाचन अधिकारी,  
मध्यप्रदेश।

विषय:- लोक सभा निर्वाचन 2019 में पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को निर्वाचन चिन्ह (आरक्षण एवं आबंटन) आदेश 1968 के पैरा 10.बी के अंतर्गत छूट विषयक।

संदर्भ:- भारत निर्वाचन आयोग का पत्र क्र. 56/Symbol/LET/ECI/PP/PPS-II/2019/Vol.-IV दिनांक 13.03.2019, इस कार्यालय का पत्र क्र. 56/चार/2019/कॉमन सिम्बल/69 दिनांक 02.01.2018, इस कार्यालय का पत्र क्र.56/चार/2019/कॉमन सिम्बल/615 दिनांक 15.01.2018, इस कार्यालय का पत्र क्र. 56/चार/2019/कॉमन सिम्बल/1180 दिनांक 24.01.2018, इस कार्यालय का पत्र क्र.56/चार/2019/कॉमन सिम्बल/1812 दिनांक 07.02.2019, इस कार्यालय का पत्र क्र.56/चार/2019/कॉमन सिम्बल/2753 दिनांक 23.02.2019, इस कार्यालय का पत्र क्र.56/चार/2019/कॉमन सिम्बल/2920 दिनांक 25.02.2019, इस कार्यालय का पत्र क्र.56/चार/2019/कॉमन सिम्बल/3294 दिनांक 02.03.2019 एवं इस कार्यालय का पत्र क्र.56/चार/2019/कॉमन सिम्बल/4101 दिनांक 11.03.2019

---000---

उपर्युक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन हो। भारत निर्वाचन आयोग के संलग्न पत्र दिनांक 13.03.2019 द्वारा 01 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल को आगामी लोक सभा निर्वाचन 2019 के दौरान निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 10 बी के प्रावधानों के तहत कॉमन चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए हैं, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

स.क्र.	राजनैतिक दल का नाम	लोक सभा संसदीय क्षेत्रों की संख्या	कॉमन चुनाव चिन्ह
1.	हिन्दुस्तान निर्माण दल (*अधिसूचना क्र.सं 757, दिनांक 13.04.2018)	समस्त 29 लोक सभा संसदीय क्षेत्रों में	(Water Tank)


इस प्रकार अब तक कुल 74 दलों के अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा कॉमन सिम्बल आवंटित करने की छूट दी गई है।

निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आबंटन) आदेश के पैरा 10- B के उप पैरा B (i) के अंतर्गत किसी भी गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल को कॉमन सिम्बल की सुविधा राज्य में कम से कम 2 संसदीय क्षेत्रों में अपने अभ्यर्थी खड़े करने की शर्त पर दिए जाने का प्रावधान है। अतः उपरोक्त दलों को कॉमन चुनाव चिन्ह आबंटन के पूर्व उपरोक्त शर्त की पूर्ति की पुष्टि इस कार्यालय से कराया जाना आवश्यक है।

कृपया आगामी लोक सभा निर्वाचन 2019 में आयोग के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें एवं इस संबंध में प्रेस नोट जारी करने का कष्ट करें।

\* आयोग द्वारा जारी अधिसूचनाओं में दिए गए क्रम संख्या अनुसार राजनैतिक दलों के नाम सूची में अंकित हैं।

संलग्न-उपरोक्तानुसार



(सकेश कुशरे)

उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 15.03.19

पृ.फा.क्र. 56/चार/2018/कॉमन सिम्बल/4604

प्रतिलिपि :-

1. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, अशोक रोड नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल।
3. श्री राहुल वाघमारे, प्रोग्रामर, कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। आयोग के संदर्भित पत्रों को वेबसाइट पर अपलोड करें। नामांकन के समय उपरोक्त दलों की सूची संसदीय क्षेत्रवार बनाने हेतु URL/PORTAL भी बनावें।
4. सभी कक्ष प्रभारी, जानकारी हेतु।



(सकेश कुशरे)

उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

मध्यप्रदेश

By Speed Post

# ELECTION COMMISSION OF INDIA

NirvachanSadan, Ashoka Road, New Delhi- 110001

No.56/Symbol//LET/ECI/PP/PPS-II/2019/Vol.-IV

Date: 13<sup>th</sup> March, 2019

To

The Chief Electoral Officers of all States and Union Territories.

Sub:- General Elections to the House of the People, 2019- Concession to candidates set up by registered unrecognized political parties- allotment of common symbol under Para 10B of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968- Regarding.

Sir,


I am directed to state that the applications of the following 1 registered un-recognized political parties for concession in the allotment of a common symbol to their candidates being set up at the forthcoming General Election to the House of the People, 2019, under the provisions of Para 10B of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, has been accepted by the Commission upon the direction given by Hon'ble High Court of Delhi in W.P No. 1839/2019 dated 07.03.2019. Accordingly, the Commission has decided to extend the concession sought under Para 10B to candidates of this party for the forthcoming General Election to the House of the People, 2019, in the constituencies mentioned as under: -

Sl. No.	Name of the Party	Name of Election(s)	No. of Parliamentary Constituencies in the respective State	Common Symbol allotted.
1.	Hindusthan Nirman Dal	House of the People, 2019	In all 543 Parliamentary Constituencies in All over India	Water Tank

2. The Returning Officers may be directed to allot the common symbol mentioned above to the candidates set up by the aforesaid registered un-recognized political party, subject to fulfillment of the provisions of Para 13 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968 relating to setting up of candidates by the party. It may also be noted that said common symbol allotted to the candidates of the above mentioned political party, is not allotted by oversight to any other candidates in these constituencies. However, the said symbol shall be available for allotment as free symbol to other candidates in the constituencies where the aforesaid party does not actually set up its candidates.

3. In the event of the above said party failing to meet the requirement of the minimum number of candidates, as prescribed in Para 10B of the said Symbols Order, 1968, then the said common symbol shall not be available to its candidates.

Yours faithfully,

  
PRAMOD KUMAR SHARMA)  
SECRETARY



Copy to: -

Sl. No	Name of the Party	Instructions
1	The President, <b>Hindusthan Nirman Dal,</b> 100 Gali No.5, Krishna Nagar, Safderjung Enclave, New Delhi – 110 029	It is informed that the party and the candidates must comply with each of the provisions of Para 13 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968.

1. East-I/East-II/NE-I/NE-II/North-I/North-II/North-III/South-I/South-II/South-III/West-I/West-II.
2. Guard File.